सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक

रांची डिप्टी पारा, आहिर टोली

रांची झारखण्ड - 834001

दिनांक – 23 अक्टूबर 2020

विषय: सुखदेवनगर (पंडरा ओ.पी.) पी.एस. कांड सं. 335/2020 धरा 363/366 भ.द.वी. के अंतर्गत, की समाप्ति रिपोर्ट जमा करने, मुकदमा समाप्त करने, मुझको नारी निकेतन से निकालने और मुझको और मो. शदाब को एक साथ कहीं सुरक्षित जगह पर जीवन व्यापन हेतु |

महाशय

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं कल्याणी कुमारी, उम्र 25 वर्ष पति, मो. शदाब उम्र 25 वर्ष वर्तमान पता "स्नेहाश्रय नारी निकेतन" कुमार बाघ पथ संख्या 10 कांके रांची 834006 |

दिनांक 7 जुलाई को मैं अपने घर जो ग्राम चोरया, प्रखंड व थाना चान्हो में है, से अपनी बुआ के घर जो सर्वेश्वरी नगर बजरा बरियातू में स्तिथ है, वहां आई थी|

- दिनांक 8 जुलाई 2020 को मुझे अपनी बुआ के साथ पार्लर जाना था पर बुआ का तबियत थोडा ख़राब होने के कारण मुझे अकेले भेज दिया गया, जिस पर मैंने उनको कहा कि मैं अपनी एक सहेली के यहाँ होते हुए आउंगी |
- मैं अपनी बुआ के घर से निकलते ही मो. शदाब को फ़ोन लगाया और उसे बोला कि "मैं घर से निकल चुकी हूँ और, क्च्हेरी के तरफ जा रही हूँ, तुम भी वहां आ जाओ", तत्पश्चात एक दुसरे से मिलने पर हमने अपना अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया |
- परन्तु लॉकडाउन/अनलॉक के कारण बहुत ही कम गाड़ियाँ चल रही थी, जिस वजह से हमे बहुत दिक्कत हुई, पर क्यूंकि हम दोनों एक साथ थे, इसीलिए हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और हम जैसे तैसे कर हज़ारीबाग पहुचे, जहाँ से हमने फिर बस लिया और कलकत्ता के लिए रवाना हुए |
- हमलोग 9 जुलाई 2020 को कलकत्ता पहुंचे और कुछ दिन इधर -उधर पता लगाने के बाद, (क्यूंकि कोर्ट बंद थे, और मंदिर भी बंद पड़े थे), हमने क़ाज़ी के ऑफिस का पता लगा कर 18 जुलाई 2020 को वहां जा कर रजिस्टर्ड मैरिज कि, जिसका निकाह नामा भी बना है|
- इसी बीच हमने पता लगाने कि कोशिश कि, की कहीं मेरे घर वालों ने कोई मुकदमा तो नहीं दर्ज कर दिया है, जिस पर हमें पता चला कि मेरे घर वालों ने रांची में मेरे अपहरण का मामला थाना में दर्ज कराया है, जो कि सुखदेवनगर (पंडरा ओ.पी.) पी.एस. कांड सं. 335/2020, धरा 363/366 भ.द.वी. के अंतर्गत, और इसी सम्बन्ध में पुलिस हमे खोज रही है|

- जिस पर हमने यह निर्णय लिया कि मैं पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दूंगी, क्यूंकि मेरे घर वालों ने समाज के दबाव में आ कर मेरे पति मो. शदाब के खिलाफ झूठा अपहरण का मामला थाना में दर्ज किया है|

<u>इससे पूर्व की कहानी बहुत लम्बी है जो निम्नलिखित है -</u>

मो. शदाब से मेरा परिचय पुराना है

मैं मो. शदाब को साल 2007 से जानती हूँ, क्यूंकि मो. शदाब मेरे घर के पास अपनी नानी के घर पर रह कर पढाई करता था| हम दोनों जब देवनन्द नाथ सिंह उच्च विद्यालय के 7वी कक्षा में थे तब से एक दुसरे को जानते है, और मो. शदाब के मामा का जो दुकान है, उसे मेरे पिताजी ने ही रेंट पर दिया है | और हमलोग 2007 से एक दुसरे के बहुत अच्छे दोस्त है, और अक्सर साथ में ही खेलते और घूमते फिरते थे | साल 2008 जब हमें स्कूल के तरफ से राजगीर ले जाया गया था तब से हमारी दोस्ती गहरी हुई | फिर 10वी के बाद मैंने इंटर में कॉमर्स पढ़ने के लिए मांडर कॉलेज में अपना दाखिला करवाया, और वही मो. शदाब ने भी कॉमर्स पढ़ने के लिए आरा कॉलेज में अपना दाखिला करवाया, पर तब भी हमारी दोस्ती बरक़रार थी | तत्पश्चात मैंने मांडर कॉलेज में ही स्नातक में एकाउंट्स ले कर अपनी पढ़ाई जारी रखी, और वही मो. शदाब इंटर का परीक्षा पास कर, गुजरात चला गया, काम कि तलाश में, और वहां उसने सरकार का “लैंड सर्वेयर” का काम किया कुछ साल |

मेरी पढाई के बाद

मेरे स्नातक कि परीक्षा समाप्त होते ही, 2016 में मेरे घर वाले, मेरी शादी के लिए लड़का ढूँढने लग गये, पर हर बार किसी न किसी वजह से रिश्ता टूट जाता था, इस दौरान मेरी मो. शदाब से बात होती रहती थी फ़ोन पर | फिर 2016 में मैं कोचिंग के लिए रांची आ गयी, और लालपुर के एक कोचिंग इंस्टिट्यूट में एडमिशन लिया, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु | मै चुटिया से अपनी एक भाभी के यहाँ रहकर , वहां से साइकिल से आना जाना करती थी, कोचिंग हेतु, गर्मी के माह में, पर इस दौरान भी मो. शादाब से मेरा मिलना नहीं होता था क्यूंकि वो राँची में नहीं था, पर हम तब भी अक्सर फ़ोन पर बात करते थे |

फिर 2017-18 में मैं अपनी गीता बुआ के यहाँ रह कर तैयारी करने लगी और परीक्षाएं भी दी, पर वहां मुझे पढ़ने के लिए एक दम समय नहीं मिलता था, क्यूंकि मैं घर के ही काम में उलझी रह जाती थी, जिस वजह से मैंने अपने घर वालों को बोला और तब मेरे पिताजी मुझे वापस चोरिय गाँव ले आये | जब मैं अपनी बुआ के यहाँ थी और फिर जब मैं वापस अपने घर भी आ गयी, तब भी मेरी बुआ मुझे मेरी शादी को ले कर मुझे सुनाती रहती थी, कि “तुम्हारे किस्मत में पढ़ना-लिखना नहीं लिखा है, इससे अच्छा तुम जल्दी शादी कर लो वरना समय निकल जाएगा और तुम्हारा उम्र भी” | जब मैं रांची में थी तब भी मैं मो. शदाब से कभी नहीं मिली क्यूंकि मो. शदाब तब भी दुसरे राज्य में था, और हम फ़ोन से ही बातें करते थे |

घर से निकलने का घटनाक्रम

मेरे सब्र का बांध तब टूट गया जब 14 जून 2020 लॉकडाउन/अनलॉक के दौरान मेरे घर मुझे लड़के वाले देखने आए, और मेरे लाख मना करने के बावजूद मेरे घर वाले नहीं माने, और मैं रोते-रोते रह गयी, और मेरे घर वालों ने मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ पक्की भी कर दी |

- तब 7 जुलाई 2020 को मैं पार्लर जाने के नाम से अपने घर चोरिय से रांची अपनी बुआ के घर आई अपने भाई के साथ, और यह ही मेरे पास आखिरी मौका था कुछ करने का, जिस वजह से मैं अपना सारा सर्टिफिकेट्स और सारा डाक्यूमेंट्स अपने साथ ले कर आई थी | गनीमत से 8 जुलाई 2020 को मेरी बुआ का तबियत ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने मुझे पार्लर अकेले जाने को कहा, जिस पर मैं उनको यह बोल कर घर से निकली कि मैं अपनी एक सहेली सुमिता के घर होते हुए आउंगी |
- मैं 8 जुलाई 2020 को अपनी बुआ के घर से निकलते ही मो. शदाब को फ़ोन किया और उसे रातू रोड बुलाया जहाँ से हम खादगढ़हा बस स्टैंड गए, लेकिन लॉकडाउन/अनलॉक के चलते बहुत ही कम गाड़िया चल रही थी, जिस वजह से हम बहुत मुश्किल से पहले रांची से हज़ारीबाग पहुचे फिर वहां से कलकत्ता के लिए बस लिए | हम लोग 9 जुलाई 2020 को कलकत्ता पहुंचे और फिर बैरैकपुर में एक होटल में जा कर एक कमरा ले लिया |

कुछ दिन बाद हमने शादी करने के लिए जगह का पता लगाना शुरू किया | क्यूंकि लॉकडाउन/अनलॉक के कारण मंदिर-कोर्ट सब बंद थे, हमारे सामने बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गयी थी | तब हमें एक भाई ने **क़ाज़ी रजिस्ट्रार का ऑफिस ले गए, जहाँ 18 जुलाई 2020 को मेरा मो. शदाब के साथ शादी हुआ, जिसका निकाह नामा भी बना हैं** |

शादी के कुछ दिन बाद हमने एक पास में रह रहे व्यक्ति के फ़ोन से यह पता करने के लिए, कि हमारे पीठ पीछे, मेरे घर वालों ने कोई मुकदमा तो नही दायर किया इसका पता लगाने की कोशिश की | और हमें

पता चला कि मो. शदाब और उसके छोटे भाई और मौसेरे भाई के विरुद्ध मेरे अपहरण करने के सम्बन्ध में मेरे घर वालों ने थाना में केस दर्ज कराया है |

- तब जा कर हम 11-12 अगस्त 2020 को बिहार पहुचे, और वहां सीधे घर नहीं जा कर, घर से थोड़ी दुरी पर थे, जिसकी जानकारी मो. शादाब के घर वालों को हुई और फिर मो. शदाब के घर वाले खबर मिलते ही हमसे मिलने आये, और हमें अपने घर ले गयें | वहां हम 10-15 दिन तक रहे, जहाँ हमे झूटी खबर मिली कि मो. शदाब के मामा जो चोरिय में रहते है, उनको पुलिस उठा कर ले गयी, जिस पर हमने निर्णय किया कि हम रांची जा कर थाना में आत्मसमर्पण कर देंगे, क्यूंकि मेरे घर वालों ने मो. शदाब और उसके दो भाइयों पर अपहरण का झूठा केस दर्ज किया है |

तब मो. शदाब, मैं, उनकी माँ, हम सब फ़ौरन **13 जुलाई 2020 को रांची आ गए, और थाना में आत्मसमर्पण किया**, जहाँ से मुझे महिला थाना ले जाया गया |

और मो. शदाब, और उनकी माँ, उनके मौसेरे भाई आबिद के कहने पर वापस होटल चले गए, और क्यूंकि मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि अगर कुछ होता है तो आप लोग बिहार के लिए निकल जाना, और क्यूंकि, उनका भाई आबिद उनका फ़ोन नहीं उठाने लगा, इस वजह से मो. शदाब, उनकी माँ, और छोटा भाई चिंटू को बिहार के लिए रवाना होना पड़ा |

- **फिर 14 जुलाई 2020 को श्री अभिषेक प्रसाद के कोर्ट में मेरा धारा 164 भ.द.वी. के अंतर्गत ब्यान हुआ, जिसमे मैंने साफ़-साफ़ ये कहा कि, "मैं अपनी मर्ज़ी से मो. शदाब के साथ घर से भागी थी**

और अपनी मर्ज़ी से उसके साथ शादी कि, और अब उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, और यह भी कि हमारी जान को खतरा है" |

परन्तु 14 जुलाई को मेरा बयान होने के बाद, मुझे "स्नेहाश्रय नारी निकेतन" ले जाया गया, जहाँ मेरे साथ दुरव्यवहार किया जाता है, मुझे जोल्हीं-जोल्हीं बोल कर ताना मारा जाता हैं, और हर तरह के ग्रुप कार्य में मुझे 'अनवांटेड' महसूस कराया जाता है, और अगर मैं यहाँ किसी से दोस्ती कर भी लेती हूँ तो बाकी लोग उसे मेरे खिलाफ भड़काने में लग जाते हैं, जिस वजह से मुझे डिप्रेस्ड सा महसूस होने लगता हैं | और आये दिन मेरे माँ-पिताजी बड़े मामा, बुआ आ कर मुझे घर वापस चलने के लिए मजबूर करते हैं, और मैं इनसे नहीं मिलना चाहती हूँ तब पर भी मुझे ज़बरदस्ती मिलने को कहा जाता है |

हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, जिसका विरोध मेरी बुआ और बड़े मामा कि तरफ से आ रहा है, जो समाज के दबाव में आ कर ऐसा करने पर मजबूर किये जा रहे है | हमारी जान को समाज के लोगों से खतरा है, जो मेरे माँ-बाप और मो. शदाब के माँ-बाप को परेशान कर रहे है| और मेरे मामा मो. शादाब और उसके घर वालों को ये साफ़ साफ़ बोल रहे है की, "आप लोग न तो कल्याणी, से बात करेंगे और न तो अपने वकील से, और हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे " |

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि 1) इस काण्ड सुखदेवनगर (पंडरा ओ.पी.) पी.एस. कांड सं. 335/2020, धरा 363/366 भ.द.वी. के अंतर्गत, को समाप्त किया जाए, और Closure Report कोर्ट और थाना में जमा किया जाए 2) पुलिस को मो. शादाब और उसके दो भाई चिंटू और आबिद के खिलाफ कोई भी कदम नहीं लेने दिया जाए 3) मुझे नारी निकेतन कांके से निकलने दिया जाये 4) मुझे मेरे पति मो. शादाब के पास

सुरक्षित पहुचाया जाए 5) मेरे पति मो.शादाब और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, और मुझे मेरे पति के पास पंहुचा दिया जाए, किसी सुरक्षित जगह पर जहाँ लोग हमे हिन्दू-मुसलमान कह कर हमे परेशान न करे और हमे हर पल हमारे जान कि चिंता न लगी रहे | इस कार्य के लिए मैं सदा आभारी रहूंगी |

आपकी

कल्याणी कुमारी

वर्तमान पता - "स्नेहाश्रय नारी निकेतन", कुमार बाघ पथ संख्या 10

कांके रांची 834006,

संलग्न :

1. Nikahnama of Kalyani and Md. Shadab
2. Copy of the F.I.R Sukhdeonagar P.S case no. 335/2020 dated 8-07-2020
3. Copy of statement of Kalyani u/s 164 CrPC dated 14-09-2020
4. Lata Singh vs. State of U.P & Ors. (2006) 5 Supreme Court Cases 475 : (2006) 2 Supreme Court Cases (Cri.) 478 dated 7-07-2006
5. Naveen Kumar & Anr vs. State & Ors. 2020 SCC Online Del 517 dated 13-04-2020
6. "SC grants protection to newly married inter-caste couple" The Tribune dated 09-03-2020